महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001

OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

No.Au/Admn.II/12-21/DEA/ दिनांक /Date: 29-04-2026

परिपत्र सं.14 /C I R C U L A R No.14

विषय /Sub : लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा – मई 2026
Departmental Examination for Auditors – May 2026

लेखा परीक्षकों के लिए अगली विभागीय परीक्षा 11 और 12 मई 2026 को मुख्य कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। दिनांक पत्र नीचे संलग्न है। प्रश्न-पत्र 1, प्रश्न-पत्र 2 और प्रश्न-पत्र 3 के लिए परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू) होगा और प्रश्न-पत्र 4 संशोधित पाठ्यक्रम में एक व्यावहारिक प्रश्न-पत्र होगा । परीक्षा बिना किताबों के 2 घंटे की अवधि के लिए होगी जिसमें 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक होंगे । उत्तीर्ण होने एवं छूट प्राप्त करने के लिए 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे । कोई अनुभाग वार उत्तीर्ण/छूट अंक नहीं हैं एवं पहले से प्राप्त छूट को अनुमति दी जाएगी। परीक्षा पास करने के अवसरों की संख्या छ: है। 0.25 अंक (25 प्रतिशत) की सीमा तक नकारात्मक अंकन होगा।

The next Departmental Examination for Auditors is scheduled to be held on 11th & 12th May 2026 at Main Office, Thiruvananthapuram. The date sheet is attached below.

11.05.2026 11.00 AM to 01.00 PM	**Paper 1** - Government Accounting & Commercial Accounting
11.05.2026 03.00 PM to 05.00 PM	**Paper 2** - Mandate of CAG & Service Regulations
12.05.2026 11.00 AM to 01.00 PM	**Paper 3** - Government Audit & Basic Concepts of Income Tax & Goods and Service Tax
12.05.2026 03.00 PM to 05.00 PM	**Paper 4** - Information Technology Practical

The pattern of the examination for Paper 1, Paper 2 and Paper 3 will be Multiple Choice Questions (MCQ) and Paper 4 will be a practical paper in the revised syllabus. The examination will be without books for a duration of 2 hours consisting of 100 questions for 100 marks. The pass and exemption marks are 45 percent. There are no section wise pass/exemption marks and the exemptions already secured will be allowed. The number of chances to pass the examination

is six. There will be negative marking to the extent of 0.25 marks (25 percent).

पात्रता/ELIGIBILITY

1. वे लेखापरीक्षक (सीधी भर्ती) जिन्होंने 01.02.2026 तक कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा दी हो एवं लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।
   Auditors (Direct Recruits) with at least one year continuous service as on 01.02.2026 and have not passed the Departmental Examination for Auditors.

2. वरिष्ठता के आधार पर लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नत किए गए लिपिक ।
   Clerks promoted on seniority basis as Auditors.

3. 01.02.2026 तक इस कार्यालय में तीन वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा वाले स्नातक समूह 'सी' अधिकारी।
   Graduate Group 'C' officials with combined regular service of three years in this office as on 01.02.2026.

लेखापरीक्षकों (सीधे भर्ती किए गए और लिपिक संवर्ग से पदोन्नत) के लिए तीन वर्ष (6 अवसर) की अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि/अवसरों की संख्या के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लिपिक संवर्ग में वापसी होगी एवं सीधी भर्ती वालों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा । प्रत्यावर्तित लिपिकों को परीक्षा पास करने के लिए 3 अतिरिक्त अवसर दिए जाएँगे, जिनका लाभ उन्हें प्रत्यावर्तन की तिथि से दो वर्ष के भीतर उठाना होगा। ऐसे प्रत्यावर्तित लिपिक, जो उन्हें दिए जाने वाली अतिरिक्त मौकों में भी लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं, वे प्रत्यावर्तन की तिथि से 5 वर्ष बाद ही पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

It is mandatory for the Auditors (direct recruits and promotees from Clerk cadre) to pass the Examination within a period of three years (6 chances). Failure to pass the Examination within the prescribed period/number of chances will entail reversion to Clerks cadre in the case of promotees and discharge from service in case of direct recruits. Reverted clerks will be permitted to appear for 3 more additional chances to clear the examination, which will have to be availed of within two years from the date of reversion. In the cases of reverted clerks who are unable to pass the Departmental Examination for Auditors even in the additional chances permissible to them, they will become eligible for consideration for promotion only after 5 years from the date of reversion.

विभागाध्यक्ष अपने विवेकानुसार एक वर्ष की अर्हक सेवा में कमी को दो माह की सीमा तक माफ कर सकते हैं।

Heads of Departments, at their discretion, can condone deficiency in qualifying service of one year up to a limit of two months.

पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में अपने आवेदन <u>**30.04.2026** को या उससे पहले</u> ईमेल (admin.ker1.au@cag.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। स्नातक लिपिक/डीईओ/एमटीएस को अपने आवेदन के साथ डिग्री प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी । उपरोक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Eligible candidates may submit their applications in the prescribed form (enclosed) by e mail (admin.ker1.au@cag.gov.in) <u>on or before</u> **<u>30.04.2026</u>**. Graduate Clerk/DEO/MTS should furnish attested copies of Degree Certificates

along with their applications. Applications received after the above date will not be entertained.

(महालेखाकार के दिनांक 29.04.2026 के आदेशानुसार)
(vide orders dated 29.04.2026 of Accountant General)

Digitally signed by
Parvathy Sekhar L
Date: 29-04-2026
16:37:07

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
SENIOR AUDIT OFFICER (ADMN.)

प्रतिलिपि /To

1. सूचना पट्ट/Notice Board
2. सभी अनुभाग/All Sections
3. सभी शाखा कार्यालय /स्थानिक लेखापरीक्षा कार्यालय /All Branch Offices/Resident Audit Offices
4. गो. कक्ष/ आई ए /प्रशिक्षण कक्ष/हिन्दी कक्ष / C.Cell/IA/Training Cell/ Hindi Cell

दूरभाष / Telephone :0471 – 2330799 ई-मेल / e-mail : agaukeralal@cag.gov.in फैक्स / Fax – 0471-2331326
वेबसाइट / Website : https://cag.gov.in/ag1/kerala/en